जिला स्तरीय वन अधिकारी समिति जिला रतलाम

कार्यवाही विवरण

उपखण्डस्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड रतलाम द्वारा उप मुख्य अभियन्ता/निर्माण, उत्तर पश्चिम रेलवे, रतलाम के पत्र क्र. उपरे/सवनि/रतलाम/504258060/1 दिनांक–05.02.2015 के अनुसार "डूंगरपुर–रतलाम व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) का हेतु वन भूमि अधिग्रहण संबंधी स्टेज–1 प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के लिए अपनी अनुशंसा उपरान्त जिला स्तरीय वन अधिकार समिति रतलाम की अनुशंसा हेतु दिनांक 18/5/2015 को निम्नानुसार प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

"डूंगरपुर–रतलाम व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत रतलाम जिले के राजस्व ग्राम पलसोड़ी की 5.05 है0 वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जाना है। इस प्रकार से रतलाम जिले के ग्राम पलसोड़ी की कुल प्रभावित वन भूमि 5.05 हैक्टर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किया जाना है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अंतर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के समक्ष ग्राम पलसोड़ी की पंचायत की ग्राम सभा में अनुमोदन एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र कि "डूंगरपुर–रतलाम व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) में आने पर रतलाम तहसील के पलसोड़ी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। ग्राम सभा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुशंसा तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति उपखण्ड रतलाम की अनुशंसा के आधार पर "डूंगरपुर–रतलाम व्हाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण (परियोजना) हेतु 5.05 हैक्टर वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन किए जाने की जिला स्तरीय वन अधिकार समिति रतलाम द्वारा अनुशंसा की जाती है।

(श्रीमती मधु गुप्ता)	(आर.पी.राय)	(बी. चंद्रशेखर)
सचिव	सदस्य	अध्यक्ष
सहायक आयुक्त	वनमण्डलाधिकारी	कलेक्टर
आदिवासी विकास, रतलाम	सामान्य वन मण्डल, रतलाम	जिला रतलाम

जा.क्र. 2805
18/5/15

Cor from panchayat